न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 32/2024

अपीलांट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
तेजाराम पुत्र मांगीलाल जाट निवासी अनावास, तहसील पीपाड शहर, जिला जोधपुर		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर द्वारा दिनांक 27.06.2018 प्रकरण संख्या 5765/2018

उपस्थित–
1. श्री गणपतलाल चौधरी, वकील अपीलांट
2. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से

निर्णय

दिनांक 27.11.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अपीलांट ने लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर–उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर) द्वारा अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट के तहत प्रकरण संख्या 5768/2018 में पारित आदेश क्रमांकः राज./907 दिनांक 27.06.18 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार पीपाड शहर के आवेदन पर ग्राम अनावास के खसरा नम्बर 146 रकबा 56.15 बीघा का नक्शें एवं जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि को दुरूस्ती हेतु प्रस्तावित प्रविष्टि को दुरुस्त करने हेतु ख0नं0 146 रकबा 39.05 बीघा तथा ख0नं0 146/3 रकबा 17.10 बीघा कुल रकबा 56.15 बीघा में विभाजित करते हुए आवेदन के कॉलम नं0 7 में प्रस्तावित नजरी नक्शें अनुसार दुरूस्त करने की अनुशंषा की गई। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश क्रमांकः राज./907 दिनांक 27.6.18 द्वारा स्वीकार किया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज. भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

हमने दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की बहस सुनी। दौरान्न सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि तहसील पीपाड़ शहर स्थित ग्राम अनावास के ख0नं0 146 रकबा 128.18 बीघा भूमि किस्म बारानी अव्वल व दोयम खेवट खतौनी बंदोवस्त में लालूराम व भानाराम पि0 दौलाराम की संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। जो आपसी सहमति से बंटवाडा अनुसार ख0नं0 146 मीन रकबा 41.01 बीघा किस्म बारानी प्रथम व 16.04 बीघा किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 1 कुल रकबा 57.05 बीघा भानाराम पुत्र दौलाराम के बंट में रखी गई। जो भानाराम के देहांत के बाद उसके पुत्र मांगीलाल के नाम जरिये फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 146 राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई। उक्त भूमि में से मांगीलाल द्वारा ख0नं0 146 मी. में से 5 विस्वा भूमि का राज्य सरकार के पक्ष में समर्पणनामा दिनांक 10.2.11 के आधार पर जरिये नामान्तरकरण संख्या 317 दर्ज कर जमाबंदी में ख0नं0 146/1 रकबा 5 बिस्वा श्री सरकार के नाम दर्ज किया गया। इस समर्पण के बाद उनके खाते में ख0नं0 146 मी. रकबा 40.16 बीघा किस्म बारानी प्रथम एवं 16.04 बीघा किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 1 कुल रकबा 57 बीघा भूमि बंट व खातेदारी में जमाबंदी संवत् 2068–71 के अनुसार रही। इसे तहसीलदार पीपाड़ शहर के दुरूस्ती आवेदन पर अपीलाधीन आदेश व उसकी पालना में जरिये नामान्तरकरण सं0 465 दिनांक 30.6.18 के अनुसार ख0नं0 146 रकबा 57 बीघा के स्थान पर कुल रकबा 56.15 बीघा दुरूस्त की जाकर ख0नं0 146 रकबा 39.05 बीघा किस्म बारानी प्रथम एवं ख0नं0 146/3 रकबा 17.10 बीघा किस्म बारानी तृतीय कुल खसरा 2 कुल रकबा 56.15 बीघा का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया।

इस प्रकार तहसीलदार पीपाडशहर/उपखण्ड अधिकारी को किसी खातेदारी भूमि को कम करने का अधिकार नही है। उक्त प्रार्थना पत्र तहसीलदार द्वारा अंतर्गत धारा 131, 136 आरएलआर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया था, इन धाराओं में

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

किसी खातेदार की खातेदारी भूमि का रकबा कम दर्ज करने अथवा गलत प्रस्ताव पारित करने के प्रावधान नही है, अतः अपीलाधीन आदेश व इसकी पालना में पारित नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट/प्रभावित खातेदार को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही रेकर्ड की जांच की गई। उक्त आदेश मृत व्यक्ति–मांगीलाल के विरूद्ध दिनांक 27.6.18 को पारित किया गया है, जबकि खातेदार मांगीलाल पुत्र भानाराम का देहांत दिनांक 27.4.18 को हो चुका था, जिनके द्वारा अपनी खातेदारी भूमि के रकबे की दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसकी जांच किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के विरूद्ध व क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश क्रमांक 907 दिनांक 27.6.18 एवं इसकी पालना में पारित ना0क0सं0 465 निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि उक्त आवेदन जमाबंदी सेग्रीगेशन कार्य के दौरान नक्शों में दर्ज खसरा नम्बरों का वन टू वन मिलान के मध्यनअर जिन खसरा में रिकार्ड मौका तथा नक्शें में भिन्नता आ रही है यथा (एक खातेदार के खसरा नम्बर में एक से अधिक जगह कब्जा है, जबकि जमाबंदी में एक ही बट्टा नम्बर डाला हुआ है। विभाजन में प्राप्त एवं जमाबंदी में दर्ज खसरा नम्बर से भिन्न नम्बर पर कब्जा है) उन खातो तथा खसरा नम्बरों को किलियर करने हेतु नक्शा दुरूस्ती प्रस्ताव मौका फर्द मय रिकॉर्ड की सत्यप्रति के साथ पेश किया गया। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार किया गया है, तथापि प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व उसके संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर आलौच्य प्रकरण में निम्न तथ्य प्रकट हैः–

1. ग्राम अनावास के ख0नं0 146 रकबा 128.18 बीघा भूमि किस्म बारानी अव्वल व दोयम खेवट खतौनी बंदोवस्त में लालू व भाना पि0 दौला की संयुक्त खातेदारी में

दर्ज थी। जो बंटवाडा दिनांक 27.7.71 अनुसार माफिक आदेश जरिये ना0क0सं0 46 भानाराम पुत्र दौलाराम जाट, साकिन देह खातेदार के नाम ख0नं0 146 मी. रकबा 41.01 बीघा किस्म बारानी प्रथम व 16.04 बीघा किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 1 कुल रकबा 57.05 बीघा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई तथा जमाबंदी संवत् 2044–46 के अनुसार मांगीलाल पुत्र भानाराम के नाम जरिये ना0क0सं0 146 दिनांक 19.5.19 द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई। इसमें से मांगीलाल द्वारा 5 बिस्वा भूमि का राज्य पक्ष में समर्पण के आधार पर जरिये ना0क0सं0 316 दिनांक 24.2.11 श्री सरकार के नाम राजस्व रेकर्ड में ख0नं0 146/1 रकबा 0.05 बीघा दर्ज की गई।

2. उक्त समर्पण के उपरांत जमाबंदी संवत् 2068–71 के अनुसार अपीलांट के खाते में ख0नं0 146 मी. रकबा 40.16 बीघा किस्म बारानी प्रथम एवं 16.04 बीघा किस्म बारानी द्वितीय कुल खसरा 1 कुल रकबा 57 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही।
3. वादग्रस्त खसरान की भूमि को तहसीलदार पीपाड़ शहर के आवेदन पर अपीलाधीन आदेश द्वारा दुरूस्त कर जरिये ना0क0सं0 465 दिनांक 30.6.18 के अनुसार ख0नं0 146 रकबा 57 बीघा के स्थान पर कुल रकबा 56.15 बीघा दुरूस्त की जाकर ख0नं0 146 रकबा 39.05 बीघा किस्म बारानी प्रथम एवं ख0नं0 146/3 रकबा 17.10 बीघा किस्म बारानी तृतीय, कुल खसरा 2 कुल रकबा 56.15 बीघा का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया।
4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट/प्रभावित खातेदार को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही रेकर्ड की जांच की गई। इसके अलावा उक्त आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध दिनांक 27.6.18 को पारित किया गया है, जबकि मांगीलाल के मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार उनका देहांत दिनांक 27.4.18 को हो गया था।
5. उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नही होता है। द्वितीय आरएलआर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

एक्ट की धारा 136 का स्कोप सीमित होने से राजस्व रेकर्ड में किसी खातेदारी भूमि को बिना सूचना/सुनवाई के कम करने के अधिकार प्रदत्त नही है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से तद्नुसार स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर) द्वारा प्रकरण संख्या 5765/2018 में पारित अपीलाधीन आदेश क्रमांकः राज./907 दिनांक 27.6.18 तथा इसकी पालना में पारित नामान्तरकरण संख्या 465 दिनांक 30.06.18 निरस्त किये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 27 **नवम्बर, 2024** को खुले न्यायालय सुनाया गया।

27.11.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर